

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 जनवरी 2026 — माघ 1, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB-103/2/2025-UAD-PART(1).— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियम में -

नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“नियम 3:- नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का वर्गीकरण.- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

श्रेणी “कक”	नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, जिनकी वार्षिक आय ₹ 4.00 करोड़ या उससे अधिक हो, चिन्ह “कक” द्वारा दर्शाई जायेगी।
श्रेणी “क”	ऐसी नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, जिनकी वार्षिक आय ₹ 2.00 करोड़ या उससे अधिक हो, परंतु रुपये 4.00 करोड़ से कम हों, चिन्ह “क” द्वारा दर्शाई जायेगी।
श्रेणी “ख”	नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, जिनकी वार्षिक आय ₹ 90.00 लाख या उससे अधिक हो, परंतु ₹ 2.00 करोड़ से कम हों, चिन्ह “ख” द्वारा दर्शाई जायेगी।
श्रेणी “ग”	ऐसी नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, जिनकी वार्षिक आय ₹ 90.00 लाख से कम हो, चिन्ह “ग” द्वारा दर्शाई जायेगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी भी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत की वार्षिक आय उसकी सकल वार्षिक आय होगी, किन्तु उसमें ऋण, जमा रकमें तथा निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान शामिल नहीं होंगे।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्रमांक ESTB-103/2/2025-UAD-PART(1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-01-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 21st January 2026

NOTIFICATION

No. ESTB-103/2/2025-UAD- PART(1).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Services (Scale of Pay and Allowances) Rules, 1967 namely:-

AMENDMENT

In the said rule,-

For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. Classification of Municipal Councils and Nagar Panchayats.- For the purposes of these rules, Municipal Councils and Nagar Panchayats shall be classified as follows:-

Category “AA”	Municipal Councils/Nagar Panchayats with an annual income of ₹4.00 Crores or more shall be indicated by the symbol “AA”.
Category “A”	Municipal Councils/Nagar Panchayats with an annual income of ₹ 2.00 Crores or more but less than ₹4.00 Crores shall be indicated by the symbol “A”.
Category “B”	Municipal Councils/Nagar Panchayats with an annual income of ₹90.00 Lakhs or more but less than ₹2.00 Crores shall be indicated by the symbol ‘B’.
Category “C”	Municipal Councils/Nagar Panchayats with an annual income of less than ₹90.00 Lakhs shall be indicated by the symbol “C”.

Explanation- For the purposes of this rule, the annual income of any Municipal Council/Nagar Panchayat shall mean its gross annual income, excluding loans, deposits and grants-in-aid earmarked for specified purposes.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGAWAT JAISWAL, Deputy Secretary.